

2024 का संलग्नक :-

विकल्प-पत्र

1. नाम	अलका भारती
2. वर्तमान पदनाम	अपर जिला जज, मुजफ्फरनगर।
3. वेतनमान	144840-194680
4. वर्तमान विभाग का नाम	उ०प्र० न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्त के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	लोक सेवा आयोग, उ०प्र०
6. विज्ञप्ति की तिथि	15 नवम्बर, 2003 (विज्ञापन सं० A-2/E-1/2003) (प्रकाशित 22-28 नवम्बर, 2003 रोजगार समाचार)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	26.05.2006 उ.प्र. शासन नियुक्ति अनुभाग-4 (सं०-2430/दो-4-06- 32(1)/2001 टीसी-1)
8. योगदान की तिथि	16.06.2006
9. जन्मतिथि	05.02.1977
10. सेवानिवृत्ति की तिथि	28.02.2037

मैं अलका भारती पत्नी सीताराम शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।

Alka Bhatti
27.9.2024
(अलका भारती)
अपर जिला जज,
मुजफ्फरनगर।
I.D. UP6437

घोषणा-पत्र

मैं अलका भारती, पदनाम अपर जिला जज, मुजफ्फरनगर यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

Alka Bhatti
27.9.2024
(अलका भारती)
अपर जिला जज,
मुजफ्फरनगर।
I.D. UP6437

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा

श्रीमति अलका भारती, पदनाम अपर जिला जज मुजफ्फरनगर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

Vinai Kumar Dwivedi
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
District Judge
Muzaffarnagar
27/08/2024

प्रेषिका,

अलका भारती,
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय,
मुजफ्फरनगर।

विषय :-

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक
28 जून 2024 एवं शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301
(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 के क्रम में पुरानी पेंशन का विकल्प चुने
जाने के संदर्भ में :-

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रार्थीया की नियुक्ति विज्ञापित सं० ए-2/ई-1/2003 दिनांकित 15 नवम्बर 2003 प्रकाशित 22-28 नवम्बर, 2003 के अंतर्गत हुई है तथा उपरोक्त शासनादेश से आच्छादित है।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांकित 28 जून, 2024 की व्यवस्था के क्रम में मेरे द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है। इस पत्र के साथ विकल्प-पत्र संलग्न है।

अतः श्रीमान् जी से सादर अनुरोध है कि प्रार्थीया के द्वारा पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने के विकल्प को चुने जाने हेतु प्रस्तुत विकल्प-पत्र को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर,

भवदीया

Alka Bhatti
27.8.2024

(अलका भारती)

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
मुजफ्फरनगर।
I.D. UP6437

दिनांक :-27.08.2024

संलग्नक :- पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु विकल्प-पत्र (मूल रूप में)

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

पत्राक 2036 / XV-11/2023 दिनांक 27/08/2024
अप्रसारित

Vinay Kumar Dwivedi
जनपद न्यायाधीश
मुजफ्फरनगर
27/08/2024